1126

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14438/1915 दिनांकः– 8.10.14

Spl. Sec.

17 OCT 2014

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 583/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 583/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2011–12 से 12–13
भाग– I

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत के वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सामाजिक प्रकोष्ठ– I, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 10.06.2013 से 15.06.2013 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क0सं0	नाम/पदनाम	कार्य अवधि
1	श्रीमति प्रियंका कुमारी/अध्यक्ष	01.04.11 से 31.05.12
2	श्रीमति रंजीता कुमारी निषाद/अध्यक्ष	01.06.12 से
3	श्री सनोज मिश्रा/उपाध्यक्ष	01.04.11 से 31.05.12
4	श्री संजीव कुमार सोनी/उपाध्यक्ष	01.06.12 से
5	मो0 शाहजहां, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/कार्यपालक पदाधिकारी	01.04.11 से 07.04.11
6	मणिरंजन, अवर निबंधक, गोगरी/कार्यपालक पदाधिकारी	07.04.11 से 31.03.13

3. अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण के नमूना जाँच किये गये पंजियों की सूची प्रतिवेदन की परिशिष्ट– I(अ) में दर्शाया गया है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया या जो अधूरा संधारित थे, को परिशिष्ट– I(ब) में दर्शाया गया है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

गोगरी, नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उनका अनुपालन वर्त्तमान लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप लंबित कंडिकाओं का निराकरण नहीं हो सका जिसकी स्थिति निम्नवत है–

क्र.सं.	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अवधि	ब्काया कंडिका	निस्तारित कंडिका	बकाया कंडिका
1	02/1989–90	1985–86 से 1987–88	16	11	5

2	79/1995–96	1988–89 से 1994–95	24	16	8
3	04/2003–04	1995–96 से 2001–02	35	35	0
4	439/2008–09	2002–03 से 2007–08	30	07	23
5	02/2012–13	2008–09 से 2010–11	24	0	24
		कुल	129	69	60

नगर पंचायत के पदाधिकारी से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अविलंब कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

5. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928(नियम 20, 64 एवं 73(क)) इत्यादि में भी यह उपबंधित है कि आंतरिक जांच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी जिन्हें प्राधिकृत किया जाए के द्वारा किया जाएगा। इस तरह जांच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने हेतु की जाती है।

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के अभिलेखों की जांच के कम में पाया गया कि इस तरह की जांच व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया जिसके कारण अनेक त्रुटियां घटित हुई तथा अंकेक्षण के दौरान दृष्टिगत हुई, उनका उल्लेख प्रतिवेदन की आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

6. अधिदृश्य

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर (खगड़िया) के वर्ष 2011–12 से 2012–13 के दौरान प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, व्यय एवं अंतशेष का विवरण निम्नलिखित है–

		2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	65294307.15	53855820.15
2	वर्ष की प्राप्ति	13579057.00	34591939.00
3	कुल योग	78873364.15	88447759.15
4	व्यय	25017544.00	40082602.00
5	अन्तशेष	53855820.15	48365157.15

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– II पर उपलब्ध)

बैंकपासबुक अंतशेष

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	राशि
1	कोषागार	94	36148829.26
2	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गोगरी जमालपुर	21034	647377.28
3	तदैव	12482	717341.00
4	भारतीय स्टेट बैंक	11473997355	5392265.00
5	भारतीय स्टेट बैंक	31844606249	4484133.00
6	कॉपरेटिव बैंक		610.00
7	अस्थायी अग्रिम		951800.00
8	Single lock/cash in hand		6551.38
9	uncash cheque		16250.00
		कुल	48365156.92

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) सरकारी निर्देशानुसार प्रत्येक प्रकार के मद के लिए पृथक रोकड़ बही संधारित किया जाना चाहिए परन्तु नगर पंचायत द्वारा 12वीं वित्त एवं तेरहवीं वित्त के लिए संयुक्त रोकड़ बही, मैचिंग ग्रांट एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के लिए एक अलग संयुक्त रोकड़ बही का संचालन/संधारण किया गया था। अतः 12वीं, 13वीं वित्त, मैचिंग ग्रंट एवं चतुर्थ वित्त आयोग की मदवार प्राप्ति एवं व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा इन परिस्थितियों में विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ii) कुछ मदों में काफी समय से किसी प्रकार का व्यय नहीं पाया गया। विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	मद	राशि	अभ्युक्ति
1	नगर प्रबंधक मानदेय	140000.00	29.10.11 के बाद कोई व्यय नहीं
2	एन.एस.डी.पी.	447657.00	26.12.06 के बाद व्यय नहीं
3	निर्वाचन	1402.50	03.03.12 के बाद व्यय नहीं
4	एन.आर.एक्स.	45646.00	
	कुल योग	634705.50	

उपर्युक्त राशि व्यय नहीं होने की स्थिति में स्वीकृतिदाता को वापस की जाए।

(iii) बारहवीं वित्त आयोग मद में रोकड़ बही के अनुसार 01.04.11 को ₹3472361 अंतशेष था जिसमें से 2011–12 में ₹933983 का व्यय एवं 2012–13 में ₹2502755.00 का व्यय किया गया, अतः 31.03.13 को 12वीं वित्त आयोग मद में ₹35623.00 पड़ा हुआ था। 12वीं वित्त आयोग योजना तेरहवीं वित्त आयोग योजना के प्रारंभ होते ही समाप्त हो गयी है। अतः अगर व्यय की संभावना नहीं हो तो राशि को संस्वीकृत प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि सभी मदों के लिए अलग– अलग रोकड़ बही का संधारण किया जाएगा तथा अवरूद्ध को व्यय करने के पश्चात शेष राशि को संस्वीकृत प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।

भाग– II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

1. प्राप्ति रोकड़ बही/ लेखा बही का अनियमित संधारण तथा प्रत्यक्ष विनियोजन (रु. 10.55 लाख)

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के द्वारा प्राप्ति लेखा का संधारण उचित तरीके से नहीं पाया गया।

(i) बिहार नगरपालिका नियमावली 1928 के नियम 21,22,28 के अनुसार

(ii) नगर पंचायत निधि के अंतर्गत प्राप्त सभी प्राप्तियों को पहले कोषागार/ बैंक खाते में जमा किया जाना है तथा निधि में जमा होने के पश्चात् ही चेक के माध्यम से व्यय किया जाना है।

(iii) नगर पंचायत निधि अंतर्गत प्राप्त वसूली की राशि का सीधे व्यय किया जाना सख्त मनाही है तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है।

(v) नियमानुसार, कर संग्रह को अथवा अन्य वसूलीकर्त्ताओं द्वारा निधि हेतु प्राप्त सभी वसूलियों के लिए विभिन्न रसीद (विविध रसीद, गृह कर रसीद इत्यादि) निर्गत किया जाता है तथा प्रत्येक दिन वसूली की दैनिक वसूली पंजी का संधारण किया जाना है तथा प्राप्त राशि को एकमुश्त उसी दिन अथवा अगले दिन रोकड़पाल/ सीधे निधि खाते में जमा किया जाना है।

पुनः रोकड़पाल द्वारा विभिन्न वसूली कर्त्ताओं से प्राप्त राशि तथा स्वयं के द्वारा वसूली गई राशि हेतु रोकड़पाल रोकड़बही का संधारण किया जाना है तथा उसमें प्रत्येक दिन वसूली की प्रविष्टि दर्ज करना है। रोकड़पाल द्वारा भी निर्धारित मद के अंतर्गत प्राप्त सभी वसूली की राशि को एकमुश्त उसी दिन/ अगले दिन नियमित रूप से कोषागार/ बैंक में जमा करना है। किसी भी वसूली राशि का हाथ में रखा जाना तथा सीधे व्यय किया जाना अनुचित तथा अनियमित है।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के प्राप्ति लेखाओं के संधारण के अवलोकन में पाया गया कि न तो वसूली द्वारा दैनिक वसूली पंजी का संधारण किया गया और न ही रोकड़पाल द्वारा रोकड़पाल रोकड़बही का संधारण किया गया था।

रोकड़पाल द्वारा वसूलीकर्त्ता से प्राप्त सभी राशि तथा स्वयं के द्वारा वसुली गई राशि को बिना नगर पंचायत निधि खाते में जमा किये रोकड़बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया जाना तथा सीधे नगद व्यय किया जाना अनियमित था।

वर्ष 2011–12 से 10–5–2013 तक रोकड़पाल द्वारा कुल ₹21,07,278 प्राप्त किया गया जिसमें से मात्र ₹10,52,733 ही बैंक में जमा किया गया तथा शेष ₹10,54,545 (स्वयं के नाम पर निर्गत चेक की भुनाई गई राशि के साथ) विभिन्न मदो पर प्रत्यक्षतः व्यय किया गया। (विवरणी परिशिष्ट– III पर उपस्थापित)

आंतरिक संसाधन हेतु संधारित रोकड़बही के व्यय पक्ष में यह स्पष्ट नहीं लिखा गया कि कौन सी राशि चेक द्वारा निकासी है तथा कौन सी सीधे व्यय फलस्वरूप चेक तथा नगद व्यय की राशि का पृथक–2 आंकड़ा की जांच करना काफी कठिन हो गया था यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा यथासंभव बैंक पंजी के मदद से नगद व्यय तथा चेक द्वारा व्यय की विवरणी तैयार की गई है जो परिशिष्ट पर दर्शाया गया है जिसके अनुसार कुल व्यय ₹17,69,667 में से नगद व्यय ₹13,20,888 तथा ₹4,48,779 चेक द्वारा व्यय था।

स्वयं के द्वारा चेक भुनाकर नगद व्यय (छोटे– छोटे राशि एवं फुटकर सामग्री छोड़कर) किया जाना भी अनियमित है।

किन परिस्थिति में लेखा नियमावली का उल्लंघन कर नगद वसूली राशि ₹10.55 लाख का प्रत्यक्ष विनियोजन तथा स्वयं के नाम पर चेक भुनाकर नकद भुगतान किया गया यह स्पष्ट नहीं किया गया साथ ही, इस तरह की घटना पर अविलंब रोक लगायी जाए एवं प्रत्यक्ष विनियोजन की राशि को नियमित करने की कार्रवाई की जाए।

दिनांक 01–06–2013 को सामान्य रोकड़बही के अनुसार रोकड़पाल के पास Single lock /Cash in hand के रूप में ₹3967.38 है । इसे अविलंब न.पं. निधि में जमा सुनिश्चित की जाय।

कुल नगद व्यय में से कितना चेक के द्वारा भुनाई गई राशि है तथा कितना नगद वसूली की राशि है स्पष्ट की जाय।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अभी से वसूली जाने वाली सभी राशि को संबंधित बैंक /खाते में जमा किया जाएगा तत्पश्चात् चेक के माध्यम से व्यय किया जाएगा।

120

2. नहीं जमा

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के 'H' रसीद एवं विविध रसीद के जांच एवं दैनिक संग्रह पंजी तथा रोकड़ बही के ——— मिलान के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहको द्वारा रु. 75443.00 की राशि प्राप्ति के पश्चात नगर पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नवत है–

H रसीद

क्र.सं.	H रसीद सं.	प्राप्ति की तिथि	राशि	प्राप्तकर्त्ता का नाम
(i)	2572	02.05.12	3240	श्री हरदेव प्रसाद सिंह सफाई जमादार
(ii)	2901 से 2939	02.05.13 से 08.06.13	41412	गोपी कृष्ण पांडे कर दरोगा
कुल योग ₹44652/–				

विविध रसीद

क्र.सं.	विविध रसीद सं.	प्राप्ति की तिथि	राशि	प्राप्तकर्त्ता का नाम
(i)	1072 से 1085	02.04.13 से 08.06.13	10959	गोपी कृष्ण पांडे कर दरोगा
(ii)	1382 से 1390 (1388 रद्द)	04.05.13 से 06.06.13	14000	श्री हरदेव प्रसाद सिंह सफाई जमादार
(iii)	948 से 949	अंकित नहीं	1030	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, नाजीर
(iv)	1039 से 1051	12.07.12 से 27.12.12	4802	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, नाजीर
कुल योग ₹30791/–				

अतः कुल नहीं जमा राशि ₹44652+ 30791 = ₹75443/–

उक्त राशि में से (₹70741.00) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (खाता सं0 21034) जमालपुर गोगरी में दिनांक 15.06.13 को जमा कर दिया गया।

शेष राशि ₹4702.00 की वसूली सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्ति से कर नगर पंचायत निधि में जमा किया गया।

जबाब में बताया गया कि राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।

3. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में 2011–12 एवं 2012–13 में कुल ₹16974694.00 की प्राप्ति हुई तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में ₹3002096.00 का व्यय वेतन एवं पेंशन पर किया गया। शेष राशि ₹13972598.00 अवरूद्ध पड़ा हुआ है। व्यय राशि ₹3002096.00 में से ₹150000.00 का व्यय

अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों श्री मनोरंजन कुमार द्विवेदी, एवं गोपीकृष्ण पांडेय के मानदेय भुगतान पर किया गया। विवरण निम्नवत है:–

क्र.सं.	दिनांक	संदर्भ	राशि
1.	5.10.12	श्री मनोरंजन द्विवेदी प्र.स. एवं श्री गोपीकृष्ण पांडेय का सितम्बर का मानदेय	2X12500=25000
2.	2.11.12	तथैव, अक्टूबर माह का मानदेय	2X12500=25000
3.	3.12.12	तथैव, नवम्बर माह का मानदेय	2X12500=25000
4.	10.01.13	तथैव, दिसम्बर माह का मानदेय	2X12500=25000
5.	06.02.13	तथैव, जनवरी माह का मानदेय	2X12500=25000
6.	06.03.13	तथैव, फरवरी माह का मानदेय	2X12500=25000
			कुल योग – ₹150000.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) अनुदान की निराशाजनक उपयोगिता

प्राप्त कुल अनुदान राशि की उपयोगिता निराशाजनक पाया गया। कुल प्राप्त अनुदान ₹169.75 लाख में से मात्र ₹30.02 लाख का व्यय सिर्फ वेतन एवं पेंशन मद में किया गया, अन्य विकास कार्यों पर किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया। कुल प्राप्त अनुदान की उपयोगिता मात्र 17.68 प्रतिशत ही है।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि कार्ययोजना तैयार कर प्राक्कलन स्वीकृति हेतु अधिक्षण अभियंता के पास भेजा गया है। प्राक्कलन स्वीकृति होते ही विभागीय निर्देशानुसार सभी मद की राशि यथा वि॰ क्षे॰ निधि, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, तेरहवी वित्त, नाला निर्माण इत्यादि का व्यय योजनाओं के कार्यान्वयन में कर दिया जाएगा।

(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से विचलन (₹ 1.5 लाख)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से अनुबंध पर कार्यरत दो कर्मियों के मानदेय भुगतान पर ₹1.5 लाख का व्यय (सितम्बर 2012 से फरवरी 2013) किया गया जो अनियमित था।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय पर भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति आंतरिक संसाधन की राशि से की जाएगी। राशि की प्रतिपूर्ति आंतरिक संसाधन से होने तक व्यय की गई राशि ₹1.5 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

4. प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान का पड़ा रहना (₹ 28.88 लाख)

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर को सरकार के पंत्राक सं0 45331 न.वि. एवं आ.वि./29.08.08 के द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु ₹28,87,875.00 प्राप्त हुआ।

उपरोक्त कार्य हेतु श्री मनोज कुमार, संवेदक को दिनांक 04.09.10 को प्रा. राशि/ एकरारनामें की राशि ₹3850500.00 (कार्य समाप्ति की अवधि 6 माह) के साथ कार्यादेश निर्गत किया गया।

(118)

पत्र सं. 131/19.5.11 से स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा कार्यावधि (04.09.10 से 6 माह अवधि 03.03.11) बीत जाने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था।

पुनः नगर पंचायत द्वारा पत्रांक 125/28.04.11 द्वारा सरकार को सूचित किया कि मान प्राक्कलन (₹38.50 लाख) पर कोई भी संवेदक कार्य नहीं करना चाहते हैं, फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन (₹56.48 लाख) स्वीकृति हेतु भेजा गया।

उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया ने पत्रांक 215 दिनांक 11.08.2011 के द्वारा जिला परिषद के जमीन पर कार्यान्वित प्रशासनिक भवन निर्माण को अविलम्ब बंद करने को कहा।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जानाः– नगर पंचायत द्वारा कार्य प्रारंभ किए जाने से पूर्व जिला परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया, फलस्वरूप योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका तथा अनुदान राषि बाधित रहा।

(ii) योजना को नियत समय पर कार्य पूर्ण न किए जाने की स्थिति में क्या कार्रवाई की गयी?

(iii) किन परिस्थितियों में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए योजना प्रारंभ की गयी?

(iv) नगर पंचायत को स्वयं का जमीन अथवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुदान की राशि सरकार को वापस कर दिया जाय।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 100 के तहत शहरी क्षेत्र की भूमि नगर निकाय में निहित है। जिला परिषद द्वारा भवन निर्माण पर रोक लगायी गई है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मामला जिला पदाधिकारी खगड़िया के न्यायालय में लंबित है ।

5. सैरात

सैरात संबंधी संचिका के अवलोकन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी–

(i) सैरात राशि का 3% मूल्य का मुद्रांक शुल्क का स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा न किया जाना

सरकार के निर्देशानुसार (पत्रांक 1920/रो/मु./सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई.जी. पंजीयन के पत्र सं. 549 दिनांक 15.03.2005) बदोबस्त की राशि का 3% के बराबर मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना है। परन्तु नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर में पाया गया कि बंदोबस्ती में बन्दोबस्तदार साथ किसी भी प्रकार का एकरारनामा नहीं किया गया, फलस्वरूप ₹1216/– की राजस्व की क्षति हुई किन कारणों से एकरारनामा नहीं कराया गया यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। विवरण निम्नवत है–

वर्ष	सैरात का नाम	बन्दोबस्त राशि ₹	बन्दोवस्तदार का नाम
2011–12	टिकारी हाट	3800	अनिल कुमार साह
	जमालपुर हाट	109900	अरविन्द यादव
	गोगरी हाट	41400	अनिल कुमार साह
कुल योग ₹155100/–			

वर्ष	सैरात का नाम	बन्दोबस्त राशि ₹	बन्दोवस्तदार का नाम
2012–13	टिकारी हाट	4000	अनिल कुमार साह
	जमालपुर हाट	177000	अजय यादव
	गोगरी हाट	43100	जाबिर हुसैन
	लक्ष्मी नगर हाट	25000	सुनील कुमार निषाद
कुल योग ₹249100/–			

3% = ₹12126/–

(ii) सरकार के निर्देशानुसार, 50 हजार एवं उसके उपर की सुरक्षित जमा वाले सैरातों का प्रचार प्रसार राज्य स्तरीय कम से कम दो समाचार के माध्यम से किया जाना आवश्यक है ताकि समुचित राजस्व प्राप्त हो सके, परन्तु वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के विभिन्न सैरातों हेतु प्रचार– प्रसार समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया गया। किन परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया गया यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि दिए गये निर्देशों का अनुपालन भविष्य में किया जाएगा।

अतः 12126 की वसूली कर नगर निधि कोष में जमा किया जाय।

6. मोबाइल टावर पर पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क बकाया (₹ 2.89 लाख)

बिहार संचार मीनार एवं सम्बंधित संरचना नियमावली, 2012 के अनुसार नगर पंचायत के अंतर्गत अधिष्ठापित किए जाने वाले टावर पर प्रत्येक अधिष्ठापित टावर पर ₹30000/– पंजीयन शुल्क एवं ₹8000/– प्रतिटावर नवीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष के लिए) की दर से लिए जाने का प्रावधान है।

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत के अंतर्गत अधिष्ठपित मोबाईल टावरों/ कंपनियों पर पंजीयन एवं नवीकरण शुल्क के रूप में ₹2.89 लाख बकाया था। राशि की वसूली हेतु ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाय।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः ₹289000 की वसूली यथाशीघ्र कर नगर निधि कोष में जमा किया जाय।

7. अग्रिम

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के अग्रिम रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों पर कुल ₹951800.00 का अग्रिम समयोजन हेतु लंबित था। विवरण निम्नवत है–

1.	प्रारंभिक शेष 01.04.11 को	12000.00
2.	अंकेक्षण अवधि में दिया गया अग्रिम	3374000.00
3.	कुल अग्रिम	3386000.00
4.	समायोजन	2434200.00
5.	अंतशेष	951800.00

अग्रिम पंजी के अनुसार व्यक्तिवार अग्रिम की स्थिति निम्नवत थी–

क्र.सं॰	अग्रिम की तिथि	व्यक्ति का नाम	राशि
1.	16.04.07	मनोज जैन	10000.00
2.	25.03.11	अंचल अधिकारी, गोगरी	2000.00
3(i)	13.10.12	उपेन्द्र प्रसाद यादव	601000.00
(ii)	16.10.12	पंचायत सचिव को	658000.00
(iii)	29.10.12	समाजिक सुरक्षा (पेंशन)	665000.00
(iv)	05.11.12	वितरण हेतु अग्रिम	400000.00
(v)	03.12.12		350000.00
(vi)	12.02.13		700000.00
		कुल अग्रिम	**₹3386000.00**

श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव, पंचायत सचिव एवं अन्य को दिए गए ₹3386000.00 अग्रिम में से ₹2434200.00 का समायोजन कर लिया गया था। समायोजन की स्थिति निम्नवत है :–

तिथि	समायोजित राशि
12.12.12	1237200.00
10.01.13	111600.00
06.02.13	1085400.00
कुल समायोजन **₹2434200.00**	

श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव के पास 31.03.13 को लंबित अग्रिम = 3374000– 2434200= ₹939800.00

इस प्रकार व्यक्तिवार अग्रिम की स्थिति निम्नवत थी:–

क्र.सं.	तिथि	व्यक्ति का नाम	राशि
1.	16.04.07	श्री मनोज जैन	10000.00
2.	25.03.11	अंचल अधिकारी गोगरी	2000.00
3.	31.03.13	श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव पे. स. (सा सू. हेतु)	939800.00
		कुल अग्रिम = **₹951800.00**	

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) श्री मनोज जैन एवं अंचल अधिकारी, गोगरी के पास क्रमशः ₹10000.00 एवं ₹2000.00 का अग्रिम काफी समय से समायोजन हेतु लंबित है। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 02/1273 के कंडिका 21 में इस बात को उठाया गया था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त अग्रिम की वसूली समायोजन नहीं किया गया।

(ii) श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव (पंचायत सचिव) को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशनों को बॉटने के लिए ₹3374000.00 का अग्रिम दिया गया जिसमें से ₹2434200.00 का समायोजन नगर पंचायत द्वारा किया गया। समायोजन से संबंधित, अभिश्रव उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया। उपरोक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय।

(iii) 31.03.13 तक विभिन्न व्यक्तियों पर ₹951800.00 का अग्रिम समायोजन हेतु लंबित था। अग्रिम का समायोजन अविलंब किया जाय। ₹951800 लंबित अग्रिम का समायोजन की स्थिति से अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाय। जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि लम्बित अग्रिम के समायोजन की कार्रवाई की जाएगी।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि लम्बित अग्रिम के समायोजन की कार्रवाई की जाएगी।

8. पिछड़ा क्षेत्र निधि

योजना संख्या – 10/11–12

योजना का नाम – वार्ड 14 में शिव मंदिर चौक से तवेन्द्र सिंह के घर तक पी॰सी॰सी॰ कार्य।

प्राक्कलित राशि	– ₹4,83,770.00	
कार्यादेश तिथि	– 24.09.2011	
संवेदक	– श्री मनोज़ कुमार	
कार्यपूर्ण की तिथि	– तीन माह	
एकरारनामा की राशि	– ₹4,83,777.00	
कार्यपूर्ण की वास्तविक तिथि	– 13.06.2012	
मापी की राशि	– ₹4,83,301 (J.E. 13.6.12, AE 14.8.12)	
भुगतान –	₹ 1,11,697.00	dt. 22.10.11
	₹ 3,23,160.00	dt. 17.11.11
S.D. Refund	₹ 24,165.00	dt. 22.08.12
रायल्टी	₹ 4,947.00	
वैट	₹ 19,332.00	
	₹ 4,83,301.00	

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) संवेदक द्वारा पूर्ण करने की वास्तविक तिथि पर कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर नियमानुसार संवेदक से पेनाल्टी प्राक्कलित राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत यानि कि ₹48377.00 नहीं काटा गया। किन परिस्थितियों में समय विस्तार का आवेदन/स्वीकृत न होने के बावजूद पेनाल्टी नहीं काटा गया, यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः उक्त राशि ₹48,377.00 संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।

(ii) संबंधित संचिका में प्राक्कलन उपलब्ध नहीं था तथा इसे लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iii) संवेदक से Tax clearance certificate लिए गए बिना भुगतान कर दिया गया, इसे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iv) योजना के कार्यान्वयन का कोई फोटोग्राफी नहीं कराया गया न ही योजनापट्ट लगाया गया। अतः योजना के कार्यान्वयन की पारदर्षिता संदिग्ध है।

(v) अतः नगर पंचायत द्वारा ली गई सभी योजनाओं में कार्यान्वयन की विश्वसनीय फोटोग्राफी/ योजनापट्ट निश्चय ही लगाई जाए। बिना Tax clearance certificate लिए संवदेक को भुगतान की जाने की जाँच कराई जाय।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन एवं कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत का जवाब संतोषप्रद एवं तर्कसंगत नहीं है। अतः उचित/ संतोषप्रद जबाव मिलने तक व्यय की गई राशि रु. 4,34,924.00 (4,83,301– 48,377) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

9. चापाकल (विधायक योजना) (₹15.48 लाख) प्राप्त आवंटन का बाधित रहना

सरकार के पत्रांक 856/न.वि. एवं आ.वि./दिनांक 21.2.08 द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में माननीय विधायक की अनुशंसा पर नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में दो– दो चापकल लगाने हेतु (20 वार्डो में कुल 40 चापाकल) ₹15,48,000.00 प्राप्त हुआ था।

पुनः पत्रांक 1543/25.03.08 द्वारा सरकार ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक वार्ड में चापाकल उन्हीं स्थानों पर लगाया जाएगा जहाँ पर मा. विधान सभा सदस्यों एवं विधान परिषद सदस्यों की अनुशंसा होगी। कार्य निविदा के माध्यम से होगी तथा 45 दिनों के अन्दर अनुशंसित स्थानों पर चापाकल लगा दिया जाय।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) कार्य नहीं होने के कारण राशि का बाधित रहना

लगभग 5 साल से भी अधिक बीत जाने के बावजूद चापाकल निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। फलस्वरूप अनुदान की प्राप्ति का उद्देश्य विफल हो गया तथा राशि बाधित रहा। तत्कालीन माननीय

विधायक के अनुशंसित स्थल पर योजना के कार्यान्वयन नहीं हो पाने के कारण राषि को सरकार के संबंधित खाते में वापस कर दी जाय ।

(ii) तत्कालीन माननीय विधायक के अनुशंसित स्थल की सूची अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गई। जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि तत्कालीन विधायक द्वारा चयनित सूची के आधार पर विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के कारण कार्यान्वयन नहीं हो सका। पुनः वर्त्तमान विधायक के द्वारा चयनित स्थल की नई सूची उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में विभाग से निर्देश की मांग की गई है। निर्देश प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी।

10. दैनिक मजदूरों पर व्यय/ अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय पर व्यय

बिहार सरकार के निर्देशानुसार दैनिक मजदूरों की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। अंकेक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में दैनिक मजदूरों के कुल ₹680065.00 का व्यय तथा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों पर ₹124166.00 का व्यय नगर पंचायत द्वारा किया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर उपलब्ध)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) दैनिक मजदूरों पर व्यय राशि ₹680065.00 को नियमित करने हेतु बिहार सरकार, नगर विकास विभाग से स्वीकृति ली जाय। सरकार से अनुमति प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय भुगतान पर ₹124166.00 का व्यय किया गया, परन्तु अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित संचिका एवं अन्य संबंधित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों श्री गोपी नाथ पांडेय कर दरोगा एवं मनोरंजन द्विवेदी, प्रधान सहायक की नियुक्ति संबंधित अभिलेख जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय, तब तक अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय पर व्यय रु. 124166.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि कर्मियों की कमी के कारण नगर पंचायत की बोर्ड के द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में दैनिक मजदूरों द्वारा सफाई कार्य किया जाता था।

11. योजनाओं की स्थिति

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा प्रस्तुत योजना विवरणी के अनुसार योजनाओं की भौतिक स्थिति निम्नवत थी–

(112)

क्र.सं.	मद	वर्ष	ली गयी यो. की सं.	मद	पूर्ण	अपूर्ण
1.	पथ	2011–12	12	पथ	12	0
2.	BRGF	2011–12	8	7	7	(विवाद के कारण एक योजना बिना व्यय के स्थगित)
3.	नाला	2011–12	3	2	1	(विवाद के कारण यो. स्थगित)
4.	घाट / पार्क	2011–12	4	4	4	
			27	**25**	**2**	

(विवरणी परिशिष्ट– VI पर उपलब्ध)

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) योजना संख्या 17/11–12 (नाला निर्माण, वार्ड सं. 15 में PWD सड़क से राजेश इंपोरियर वस्त्रालय के बगल से बाइपास पोखर तक नाला निर्माण) संचिका के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि संचिका में मापी पुस्तिका मौजूद नहीं था, फलस्वरूप कार्य की वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण अवगत नहीं हो सका, परन्तु संचिका के Notesheet एवं नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत योजना विवरणी के अनुसार ₹497300.00 प्राक्कलन एवं ₹484048.00 के एकरारनामें के विरूद्ध ₹359051.00 की मापी दर्शाया गया। कार्यादेश दिनांक 15–09–11 के अनुसार कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि 14.12.11 (तीन माह) थी परन्तु आज की तिथि तक ₹359051.00 के व्यय के बावजूद योजना अपूर्ण थी। चूँकि योजना नाला निर्माण का है अगर योजना अपूर्ण रह जाता है तो योजना का उद्देश्य (नाले के पानी को सही जगह तक पहुचाना) विफल हो जाता है तो इस परिस्थिति में योजना पर किया गया व्यय निष्फल हो जाएगा।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि स्थल विवाद के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा दिया गया जबाव संतोषप्रद एवं तर्कसंगत नहीं है, अतः योजना पूर्ण होने तक/ संतोषप्रद जबाव मिलने जाने तक व्यय की गयी राशि ₹359051.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) योजनाओं पर वैट एवं रॉयल्टी मद में क्रमशः ₹502748.00 एवं ₹116904.00 की कटौती संवेदक के विपत्र से की गयी। इस राशि को सबंधित सरकारी शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। उक्त राशि को संबंधित सरकारी शीर्ष में जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय जवाब में बताया गया कि वैट एवं रायल्टी की राशि जमा कर दी जाएगी।

(iii) बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग के निर्देशानुसार सभी लोक निर्माण कार्यो के कुल व्यय का 1% श्रम शेष के रूप में कटौती करने के पश्चात ही संवेदक को शेष राशि का भुगतान करना था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा श्रम शेष के रूप में ₹126516.00 (12651605 का 1%) की कटौती अभिकर्त्ताओं के विपत्र से नहीं किया गया। श्रम शेष राशि की वसूली सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति से कर

सबंधित सरकारी शीर्ष में जमा किया जाय। जवाब में बताया गया कि श्रम शेष की कटौती दिशानिर्देश के अभाव में नहीं की गयी, आगे से अनुपालन कर सबंधित विभाग में जमा की जाएगी।

(iv) योजनाओं पर आय कर की कटौती नहीं: योजनाओ पर आय कर की कटौती किए बिना ही अभिकर्त्ता को राशि का भुगतान किया गया। आय कर के रूप में ₹284661.00 (2.25% of 12651605) की वसूली सबंधित/जिम्मेवार व्यक्ति/व्यक्तियों से कर सबंधित सरकारी शीर्ष में जमा किया जाय।

(v) विलंब से कार्य पर Penalty नहीं लगाया जाना नगर पंचायत द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को काफी विलंब से पूर्ण किया जा रहा था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा देरी से कार्य करने के लिए Penalty के रूप में ½% प्रतिदिन अधिकतम 10% का दर से (प्रा. राशि का) कटौती नहीं किया गया था, न ही संवेदक द्वारा समय वृद्धि के लिए आवेदन दिया गया था न ही नगर पंचायत द्वारा समय वृद्धि दिया गया। इस प्रकार नगर पंचायत की कुल 20 योजनाएँ एक महीने से साल भर के विलंब से पूर्ण हुआ परन्तु संवेदक विपत्र से ₹1157097.00 (11570973 का 10% की कटौती) Penalty के रूप में नहीं किया गया। विलंब कार्य के लिए संवेदक से रु. की राशि वसूलनीय है।

(विवरणी परिशिष्ट– VII पर उपलब्ध)

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि विलंब शुल्क एवं आयकर की कटौती से सबंधित वसूली की कारवाई की जाएगी।

भाग– III

1. बजट का नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 82 से 84 के अनुसार नगर पंचायत आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में 15 फरवरी तक तैयार करेगा तथा नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इस बजट प्राक्कलन को सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा यदि कोई हो, पर विचार कर राज्य सरकार को भेजेगा जिसे राज्य सरकार 31 मार्च तक संशोधित कर अथवा असंशोधित रूप में लौटाएगी।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा अधिनियम के प्रावधानानुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया। बिना प्रावधान किये कोई भी व्यय किया जाना अनियमित है।

जबाव में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष (2013–14) से बजट बनाया जा रहा है।

2. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं पाया गया फलस्वरूप लेखापरीक्षा वर्ष के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। यद्यपि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में प्राप्त अनुदान हेतु पृथक– पृथक रोकड़ बही का संधारण किया गया। 12वीं एवं 13वीं वित्त आयोग हेतु और मैचिंग ग्रांट एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग हेतु पृथक– पृथक सहायक रोकड़ बही का संधारण किया जाय।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में प्राप्त अनुदान विवरण परिशिष्ट– IV पर उपस्थापित है।

जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाएगा।

3. अप्रस्तुत 'H' receipt

क्र.सं.	Receipt no./Date of issue	कर संग्राहक
1.	1401 से 1500, 26/11/10	शिशुपाल दास
2.	1601 से 1700, 6/1/11	समीर राजा
3.	1701 से 1800, 06/1/11	मो॰ शौकत

उपरोक्त 'H' receipt की बार– बार नगर पंचायत से मांग करने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण उस रसीद द्वारा कितनी राशि वसूली गई एवं उक्त राशि को संबंधित खाते में जमा किया गया या नहीं, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अतः अगले अंकेक्षण में उपर्युक्त रसीद को जाँच हेतु प्रस्तुत करें।

4. भौतिक सत्यापन

नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर के भंडार पंजी के अनुसार शेष विविध रसीद निम्न थे–

क्र.सं.	विविध रसीद सं.
1.	1401 से 1500
2.	1501 से 1600
3.	1601 से 1700
4.	1701 से 1800
5.	1801 से 1900
6.	1901 से 2000

उपरोक्त भंडार के भौतिक सत्यापन में विविध रसीद संख्या 1401 से 1900 तक सही पाए गए। लेकिन रसीद संख्या 1901 से 2000 का सत्यापन में पाया गया कि वि॰ रसीद संख्या 1995 से 2000 तक फटा हुआ था अर्थात् सत्यापन में देखा नहीं जा सका। भंडार पुस्तिका भी सक्षम पदाधिकारी से सत्यापित नहीं कराया गया था।

अतः विविध रसीद संख्या 1995 से 2000 का भौतिक सत्यापन में नहीं पाए जाने की सत्यता की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराकर स्थानीय लेखापरीक्षा को अवगत कराए।

5. लेखापरीक्षा परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूल की गयी राशि – ₹70741.00

2. वसूली के लिए सुझायी गयी राशि – ₹1922479.00

3. अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि– ₹1748206.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VIII पर)

6. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा में उठायी गयी आपत्तियों पर बिन्दुवार चर्चा नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर से (विस्तृत चर्चा) दिनांक 22.06.13 को की गयी।

7. सामान्य अभ्युक्ति

नगर पंचायत विधि के लेखाओं के संधारण में सुधार की काफी आवश्यकता है। आवेदन पंजी, अनुदान नियोजन पंजी, रोकड़पाल रोकड़ बही, माँग एवं वसूली पंजी इत्यादि के संधारण की आवश्यकता है। इन पंजी/अभिलेखों के संधारण नहीं किए जाने से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमित्तताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं के विहित संधारण की दिशा में उचित कदम उठाए जाएँ। बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जाय तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप सभी प्रकार के शुल्कों एवं करों का करारोपण किया जाय ताकि नगर पंचायत (निधि) की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जा सके।

–हस्ता0–

विमलेश

(स0ले0प0अधि0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार (एस0एस0–I)

––सह––

स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार